न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 10/2016

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
श्री सुरेश कुमार वैष्णव पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जाति वैष्णव निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा। 2. श्री छोटेलाल पुत्र श्री सांकलाराम जाति माली निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 59 दिनांक 05.10.1981 क्षेत्रफल 770.3 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266(ग) के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का पुश्तैनी मालकी तथा कब्जे का एक आवासीय मकान ग्राम रोहिडा में राज राजेश्वरी माताजी मन्दिर के पीछे आया हुआ है, जिसके उत्तर दिशा में श्री रज्जाक खां पुत्र श्री झूठेखां जाति मुसलमान के कब्जे का भूखण्ड था, जिसे अप्रार्थी संख्या दो ने क्रय करने के बाद ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर धारा 2[illegible] राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत पट्टा जारी करवाया गया है, जो सर्वथा गलत है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बिना किसी अधिकार के [illegible] भूमि [illegible] पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया है एवं उक्त पट्टा के दक्षिण दिशा में गली होना गलत दर्शाया गया है जबकि मौके पर स्थिति के विपरीत गली न होकर प्रार्थी का मकान है। [illegible] कि विवादित भूमि को ग्राम पंचायत को आम नीलामी [illegible] विक्रय किया जाना चाहिए था, उक्त पट्टा की भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा नहीं रहा है तथा न ही उक्त भूखण्ड पर स्वतंत्र रूप से विक्रय करना असम्भव था। उक्त पट्टा कानूनन धारा 266(ग) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत जारी नहीं हो सकता लेकिन फिर भी अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

संख्या दो अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1964 में पट्टा संख्या 67 बना हुआ है एवं उस पट्टे की उत्तर दिशा में श्री रज्जाक खां का भूखण्ड दर्शाया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि श्री रज्जाक खां के भूखण्ड एवं प्रार्थी के भूखण्ड के बीच कोई गली या रास्ता नहीं था, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध तरीके से उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि उक्त पट्टे को जारी करने से पूर्व कोई मिसल तैयार नहीं की गई है एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया गया है एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो द्वारा कोई आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, मौका निरीक्षण, आपत्ति नोटिस, पंचगण की राय प्राप्त नहीं की गई यानि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 59 दिनांक 05.10.1981 को निरस्त करना फरमावें। इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत S.B.Civil Writ Petition No. 549 of 2009 Decided on 03.08.2010 एवं S.B. Civil Writ Petition No. 1688 of 1983 Decided on 18.02.2000 पेश किए।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 266(ग) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है विवादित भूमि सार्वजनिक स्थान नही है अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश पंचायती राज के नियम नही है । अप्रार्थी संख्या एक ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी मे आते है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में नियमानुसार सम्पत्ति खरीदने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–61 के तहत अधिनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में स्थित भूमि का पट्टा संख्या 59 अप्रार्थी संख्या दो को जारी किया गया है, लेकिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के भूखण्ड के बीच पानी की निकासी तथा हवा एवं रोशनी हेतु तीन फीट की गली छोडी गई है तथा उक्त गली को छोडकर कर अप्रार्थी संख्या दो को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त गली से प्रार्थी के हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं [illegible] यह है कि उक्त भूखण्ड से ग्राम पंचायत से कोई लेना–देना नहीं है। उक्त भूखण्ड आबादी में अवश्य स्थित है लेकिन उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या [illegible] है जिसका पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है तथा तत्कालीन दर से ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित राशि अप्रार्थी संख्या दो ने जमा करवाई है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या दो के भूखण्डों के बीच तीन फीट की गली छोडकर विवादित पट्टा जारी किया गया है, जो प्रक्षकारान के हित में है तथा उक्त पट्टा से प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नुकसान कारित नहीं होता है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार मिसल का संधारण किया है तथा पूर्ण जांच कर ग्राम पंचायत में इसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव दिनांक 05.10.1981 को पारित कर अप्रार्थी संख्या दो खरीददार की बोली सबसे उच्च होने पर उसका प्रस्ताव पारित कर उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पारित करने का निर्णय लिया जिस पर अप्रार्थी संख्या दो ने दिनांक 31.10.1981 को उक्त राशि ग्राम पंचायत रोहिडा में जमा करवाई तथा उसके पश्चात ही पट्टा जारी किया गया है। यह है कि पट्टा जारी होने के बाद नियमानुसार निर्माण कार्य हेतु अप्रार्थी संख्या दो ने ग्राम पंचायत में आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत ने आपत्ति नोटिस जारी किया तथा निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 13.12.1981 को ग्राम पंचायत रोहिडा ने नियमानुसार निर्माण कार्य करने हेतु आज्ञा पत्र जारी कर दिया तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या दो ने अपने मकान का निर्माण सन 1982 में पूर्ण कर लिया। इस प्रकार पट्टेशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो सन् 1982 से निर्मित मकान में बतौर स्वामी निवासरत है तथा पक्षकारान के बीच स्थित गली का उपयोग उपभोग करता आ रहा है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को शुरूआत से ही है। यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या दो के मकानात के बीच में जो गली आई हुई है उस पर जून 2015 में प्रार्थी ने अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ किया जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या दो से झगडा किया जिसकी रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत रोहिडा व पुलिस थाना रोहिडा को दी थी जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या दो को पुलिस थाना रोहिडा द्वारा पाबन्द किया गया। इसके संबंध में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर सिरोही व उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा व विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा व सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा को भी दी थी, जिन्होने उक्त गली पर निर्माण कार्य व कब्जा करने से प्रार्थी को रोका था तब रंजिश वश प्रार्थी ने उक्त निगरानी श्रीमान न्यायालय में पेश की है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। अतः इसे खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जहॉ तक अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है । किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा रूपये 154.06/– शुल्क लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार–

266. निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण– (1) पंचायत, निम्नलिखित मामलों में किसी भी आबादी भूमि का निजी बातचीत के द्वारा विक्रय के रूप में हस्तान्तरण कर सकेगी–

(क) जहां कोई व्यक्ति भूमि [illegible] का दावा रखता हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त न हो सके।

(ख) जहां ऐसे कारणों से जिन्हें [illegible] का यह विचार हो कि नीलाम भूमि के निर्वतन [illegible] सुविधाजनक [illegible] नहीं होगा और

(ग) यदि ऐसा तरीका पंचायत [illegible] तथा अनुसूचित जनजातियों का अन्य पिछडी हुई जातियों की [illegible] समझा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वयं के मकान का पट्टा वर्ष 1961 में जारी किया गया तथा उसके उत्तर दिशा में श्री रज्जाक खां पुत्र श्री झूठे खां जाति मुसलमान के कब्जे भूखण्ड को दर्शाया गया है। यह है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कहीं पर भी यह कथन नहीं किया है कि प्रार्थी ने अपने स्वयं को जारी पट्टे की भूमि में से तीन फीट की भूमि छोडकर कर निर्माण कार्य किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को जारी पट्टे की सम्पूर्ण भूमि पर ही प्रार्थी द्वारा मकान बनाया गया है। जहां तक तीन फीट की गली का सवाल है तो उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर पूर्व में विवादित भूमि पर श्री रज्जाक खां पुत्र श्री झूठे खां का कब्जा प्रतीत होता है एवं बाद में उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम पंचायत द्वारा आम नीलामी में जारी कर दिया गया एवं अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 59 दिनांक 05.10.1981 में अंकित चतुर्दर्शी में दक्षिण दिशा में गली अंकित है। अतः प्रार्थी अपने पट्टे के अनुसार जारी सम्पूर्ण भूमि पर कब्जे काबिज होने से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को तीन फीट की गली छोडकर पट्टा जारी किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को दिनांक 13.12.1981 को निर्माण कार्य की स्वीकृति दी थी एवं पत्रावली पर उपलब्ध फोटो के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो ने पूर्व में ही मकान निर्माण कर लिया था, जिसका प्रार्थी को पता होने के बावजूद वर्ष 2016 तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता के कथनों के आधार पर उक्त गली की उपयोग अप्रार्थी संख्या दो अपने मकान के पानी निकासी, हवा एवं रोशनी हेतु करने से प्रार्थी के सुखाधिकार पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पडना प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं फोटोग्राफ तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त S.B. Civil Writ Petition No. 549 of 2009 Decided on 03.08.2010 एवं S.B. Civil Writ Petition No. 1688 of 1983 Decided on 18.02.2000 का अवलोकन कर न्यायालय ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा विवादित पट्टा में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner